iT

No. 17/03/2010-Pers/BSF/ 45890-46239
Government of India
Ministry of Home Affairs
Directorate General, Border Security Force
(Personnel Directorate)

Block No-10, 5th Floor
CGO Complex, Lodhi Road
New Delhi – 110 003

Dated, the 29 June, 2012
02 July 12

To

All Frontier HQrs BSF
All Sector HQrs/DIsG ISD
All BNs BSF (THQ/Bn HQ)
All Training Institutions BSF/STCs
CENWOSTO/TSU Tekanpur
SIW/SRO/ATS Tekanpur
Water Wing Bhuj (Guj)/ Madhopur(Pb)
South Bengal (Kolkata) & Dhubri (Assam)

Sub:-**FORWARDING OF BSF COMMUNICATION(NON-GAZETTED) CADRE RECRUITMENT RULES, 2012**

The notified Recruitment Rules of Border Security Force, Communication (Non-Gazetted) Cadre 2012 published in the Official Gazette vide GSR-331(E) dated 27.04.2012 are forwarded herewith for your kind information and necessary action, please.

(Kuldeep Saini)
Dy Inspector General(Confd)
29 June, 2012

Distribution :-

1. Spl DG BSF Kolkata & Chandigarh
2. All IsG at FHQ BSF
3. PS to DG BSF/
4. PS to Addl DsG BSF
5. FA BSF HQ
6. Prov Dte/ Engg Cell
7. PAD BSF
8. Law Branch and D&L Branch, FHQ BSF
9. Staff Section/Recruitment Section/Estt Section
10. NGO's Promotion Desk – Pers Section
11. IT Wing FHQ BSF – for placing on the Web Site of the Force.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 194] नई दिल्ली, बुधवार, मई 2, 2012/वैशाख 12, 1934
No. 194] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 2, 2012/VAISAKHA 12, 1934

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2012

सा.का.नि. 331(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) और (ग) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और गृह मंत्रालय सीमा सुरक्षा बल, संचार (अराजपत्रित) काडर भर्ती नियम, 2006 को,. उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय में सीमा सुरक्षा बल के संचार (अराजपत्रित) काडर में समूह 'ख' और 'ग' के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** .-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल, संचार (अराजपत्रित) काडर भर्ती नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषा** :-इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) :-'अधिनियम' से सीमा सुरक्षा अधिनियम 1968 (1968 का 47) अभिप्रेत है।

(ख) :-'महानिदेशक' से महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल अभिप्रेत है।

(ग) :-'सक्षम प्राधिकारी' से नियुक्ति प्राधिकारी या सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 और सीमा सुरक्षा बल नियम, 1969 में निर्दिष्ट नियुक्ति प्राधिकारी अभिप्रेत है।

(घ) :- 'शेप-1' से निम्नानुसार चिकित्सा प्रवर्ग अभिप्रेत है :-

(i) कोड अक्षर शेप जो निम्नलिखित कृत्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं द्वारा उपदर्शित दिए गए कारकों के अधीन अधिकारी की उपयुक्तता निर्धारित करने के पश्चात् चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया गया चिकित्सा वर्गीकरण:-

S– मनोवैज्ञानिक

H –श्रवण शक्ति

A –उपांग

P –शारीरिक क्षमता

E –दृष्टि शक्ति

(ii) प्रत्येक कारक के अधीन, किसी अधिकारी की कार्यात्मक क्षमता, प्रत्येक कोड अक्षर के सामने अंक 1 से 5 की कार्यक्षमता उपदर्शित करते हुए दर्शाई जाएगी। कोड अक्षर के पश्चात् अंक लिखे जाएंगे सिवाय उसके जहां कोई अधिकारी सभी कारकों में श्रेणी– I में हैं वहां उसका प्रवर्ग एस1 एच1ए1पी1ई1 लिखने के बजाए शेप–1 लिखकर दर्शाया जा सकेगा । इन अंकों का सामान्य मूल्यांकन निम्नानुसार है :–

(1) कहीं भी सभी कर्तव्यों के लिए योग्य।

(2) सभी कर्तव्यों के लिए योग्य किन्तु क्या कर्तव्यों में तीव्र कठिनाई या दोनों कानों या आंखों को श्रवण शक्ति या दृष्टि की तीक्ष्णता की मांग अन्तर्ग्रस्त है या नहीं, पर निर्भर करते हुए कर्तव्यों के प्रकार और नियोजन योग्यता क्षेत्रों के अनुसार परिसीमाएं हो सकती हैं ।

(3) ''एस'' कारक को छोड़कर, नैमी या निष्क्रिय कर्तव्यों के लिए योग्य किन्तु उच्च स्थान (2700 मीटर से अधिक) अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों या पहाड़ी भूखंडों पर दीर्घ कर्तव्य भारों के लिए नियोजन योग्यता की परिसीमाएं हो सकती है।

(4) अस्पताल में भर्ती या बीमारी की छुट्टी के कारण कर्तव्यों के लिए अस्थायी रूप से अयोग्य।

(5) कर्तव्यों के लिए स्थायी रूप से अयोग्य।

(ड़) :–उन शब्दों और पदो के,जो इसमें प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगें जो उनके सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 और सीमा सुरक्षा बल नियम, 1969 में हैं।

3. **लागू होना** – ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

4. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान** .– उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि**:– उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

परन्तु ऐसे पदधारियों को, जो संबंधित व्यवसाय पाठ्यक्रम की अंतिम परीक्षा में एक या उससे अधिक विषय में असफल हो जाते हैं, व्यवसाय पाठ्यक्रम परीक्षा में बैठने के अधिकतम दो अवसरों के लिये अनुज्ञात किया जाएगा और उन्हें अपनी परिवीक्षा की अवधि के दौरान व्यवसाय पाठ्यक्रम में अर्हता प्राप्त करनी होगी ।